बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 05/1/15

सं0–1/स्था0–न0 प्रबंधक–05/13 24 /न0वि0एवंआ0वि0। भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगर प्रबंधक के पद पर भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** – (i) यह नियमावली बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय अथवा सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

   (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (ii) **"विभाग" से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग**

   (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है **प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग**;

   (iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है **प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग**;

   (v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग;

   (vi) "नगर पालिका" से अभिप्रेत है नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत;

   (vii) **"संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार नगर प्रबंधक सेवा संवर्ग**

   (viii) **"संवर्ग का सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्ति**

   (ix) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली में उनके प्रति समानुदेशित किये गये हों;

   (x) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007

3. **संवर्ग का स्वरूप।** – (1) नगर प्रबंधकों का संवर्ग राज्यस्तरीय होगा और उनके सदस्यों को बिहार राज्य के किसी भी नगर निकायों में पदस्थापित किया जा सकेगा। शहरी स्थानीय निकाय यथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अनुसार नगर प्रबंधक के पद रहेंगे जिसका, समय समय पर, विभाग द्वारा समीक्षा कर संख्या बल विनिश्चित किया जायेगा।

   (2) उक्त पदों के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान या ग्रेड पे अनुमान्य होगा।

4. **प्राधिकृत बल। – संवर्ग का प्राधिकृत बल वही होगा जो विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।**

5. **भर्ती की पद्धति, नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया। –** (1) इस संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति, आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती (लिखित परीक्षा) द्वारा की जायेगी। **सीधी भर्ती के लिए कुल 100 अंक अवधारित किए जाएंगे।**

कुल 100 अंकों में से 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए अवधारित किये जायेंगे। नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए प्रति वर्ष 10 अंक एवं अधिकतम 30 अंक दिये जा सकेंगे। लिखित परीक्षा हेतु विषय आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से विनिश्चित किये जाएंगे।

(2) इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहाँ संवर्ग में कोई पद सीधी भर्ती के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण रिक्त है, या जहाँ संवर्ग में कोई पद किसी के अवकाश के कारण या अस्थायी रुप से रिक्त हो, वह पद के लिए अपेक्षित योग्यताधारी व्यक्ति से प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा कार्यहित में भरा जा सकेगा।

6. **आरक्षण। – इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।**

7. **नियुक्ति हेतु उम्र सीमा। – (1) सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र–सीमा वही होगी, जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या– 8025 दिनांक– 21.05.13 के आलोक में संविदा पर पूर्व से नियोजित कर्मचारियों के लिए आयु सीमा को नियमानुसार शिथिल किया जा सकेगा।**

(2) शैक्षणिक अर्हता। – मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर/PGDM अथवा नगर प्रबंधन/निवेशन एव विकास में स्नातकोत्तर।

8. **परिवीक्षा–अवधि। –** (1) सीधी भर्त्ती से नियुक्त नगर प्रबंधकों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। इस अवधि में पदाधिकारी को विभाग द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होना होगा एवं विभाग द्वारा विनिश्चित परीक्षाओं में उत्त्तीर्ण होना पड़ेगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम/पाठ्यक्रम विभाग द्वारा विनिश्चित किया जा सकेगा।

(2) विभाग नगर प्रबंधकों की परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष से अनधिक अवधि तक के लिए बढ़ा सकेगी–

(क) यदि वह विहित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, अथवा

(ख) यदि वह नियुक्ति प्राधिकार की संतुष्टि तक प्रशिक्षण पूर्ण करने में असफल रहा हो, **विस्तारित अवधि में भी परीक्ष्यमान अवधि की सेवा संतोषजनक नहीं होने पर परीक्ष्यमान नगर प्रबंधकों को पदमुक्त किया जा सकेगा।**

9. **प्रशिक्षण। – इस संवर्ग के कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके लिए पाठ्यकम अवधि एवं प्रकृति का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा।**

10. **सम्पुष्टि। – परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति पर और विहित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नगर प्रबंधकों की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।**

11. **अवशिष्ट मामले। – इस नियमावली या इसके अधीन बनाई गयी किन्हीं विनियमावलियों में विशिष्टत अनाच्छादित मामलों के संबंध में संवर्ग के सदस्यों पर राज्य सरकार के समुचित स्तर के कर्मचारियों के संबंध में लागू नियम, विनियमन तथा आदेश लागू होगे।**

12. **निर्वचन। – इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इस विषय में आवश्यकतानुसार विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, नगर विकास एवं आवास विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।**

13. **कठिनाईयों का निराकरण – इस नियमावली के कार्यान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा इसके कार्यान्वयन से किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो राज्य सरकार, उस कठिनाइ अथवा अन्याय को, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, दूर कर सकेगी।**

14. **विनियम बनाने की शक्ति। – इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।**

15. **नगरपालिका निधि से राज्य सरकार को भुगतेय लागत एवं व्यय।** – इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नगरपालिका सेवा में नियुक्त नगर प्रबंधकों के पद के संबंध में नगर निकायों द्वारा उपगत लागत एवं व्यय, यदि कोई हो, प्रतिवर्ष नगर निकायों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से

Rajendra 31.12.2014

(डा0 बी0 राजेन्दर)
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–24........./न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक– 05/1/15

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/सभी नगर प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajendra 31.12.2014

(डा0 बी0 राजेन्दर)
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग